न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–190/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/190

अपीलाण्ट :–

1. नारणाराम पुत्र श्री जवा
2. पीराराम पुत्र श्री जवा

दोनो जाति मेगवंशी निवासी ग्राम रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. वेनाराम पुत्र श्री आम्बाराम जाति मेगवंशी निवासी ग्राम रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार रानीवाड़ा।
3. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, रानीवाड़ा।
4. मकना पुत्र श्री जवा जाति मेगवंशी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.03.2022 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2021 अनवान वेनाराम बनाम नारणा वगैरा में उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश

उपस्थिति :–
1. श्री राजूराम परमार, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री प्रकाश थानवी, श्री राजूराम हरियाल , विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 29.11.2024

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा के प्रकरण संख्या 36/2021 बअनवान वेनाराम बनाम नारणा वगैरा में उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा के निर्णय दिनांक 22.03.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय अपीलांट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

विद्वान उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा का अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र गै०मु० रास्ते की भूमि ख0न0 1236 के लिये चलने योग्य नही था तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज गै०मु० रास्ता की भूमि को पत्थरगढी करवाकर आमजन के लिये बंद नहीं किया जा सकता है, इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र विधि वर्जित होने से चलने योग्य नही था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने इस तथ्य की ओर बिना ध्यान दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को सुनवाई सूचना जवाब साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थनापत्र को बिना कोई मौका जांच, साक्ष्य सबूत के स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। इस कारण अपीलाधीन आदेश एवं सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा का अपीलाधीन आदेश धारा 111. 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की पालना किये बिना पारित किया गया होने से गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने स्वयं द्वारा प्रार्थी के एवं पडोसी खातेदारान के खेतों के मध्य की सीमा को तय किये बिना सीधा नेखमबंदी करने का आदेश दिया है तथा तहसीलदार से सीमा से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश धारा 128, 111 के प्रावधानो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी / विप्रार्थी के खेतो के मध्य सीमा की जांच करके स्वयं द्वारा सीमा निर्धारित किये बिना आदेश पारित किया है जो न्याय नियम के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलार्थीगण की भूमि एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के खसरा संख्या की भूमि के मध्य गै०मु० रास्ते की भूमि ख0न0 1236 आया हुआ है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 की भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगती हुई नही है। उक्त खसरा संख्या 1236 गै०मु० रास्ता का प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नियम विरूद्ध अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाया तथा उसके बाद उक्त रास्ते को अपने खेत मे मिलाकर अतिक्रमण कर लिया है तथा उसके बाद पत्थरगढी के लिये झूठा प्रार्थनापत्र केवल ओर केवल अपीलार्थीगण को परेशान करने के लिये प्रस्तुत किया है जो आधारहीन होने से निरस्त किये जाने के योग्य है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उक्त गै०मु० रास्ता की अनदेखी करते हुए उस पर भी पत्थरगढी करने का आदेश दे दिया जो कतई नियम विरूद्ध होने से गलत है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है।

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपील को अंदर म्याद सुमार करने हेतु अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत है।

अपीलार्थीगण ग्राम रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा के भूमि खसरा संख्या 1234 रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम और रकबा 3.6000 हैक्टेयर जाव सोयम के काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि के चारो तरफ पुरानी झाडियो की वक्त सेटलमेन्ट से माठ बनी हई है तथा अपीलार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है एवं काश्त करते आ रहे है।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2022 स्पष्ट रूप से विधिविरूद्ध, विधि, न्याय, कानून, अभिलेख के एवं सुस्पष्ट प्रावधानो के विरूद्ध तथा धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है जो मनमाना होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा के समक्ष ग्राम रानीवाड़ा खुर्द के भूमि ख०न० 1236 रकबा 0.15 हैक्टर गै०मु० रास्ता, ख0न0 1261 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0न0 1262 रकबा 0.02 हैक्टेयर, ख0न0 1263 रकबा 2.58 हैक्टेयर कुल रकबा 2.77 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाने के लिये एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का दिनांक 13.09.2021 को प्रस्तुत करके कथन किया कि उक्त भूमि तथा उसके पडोसी ख0न0 1231, 1232, 1233 व 1234 के बीच की माठ को लेकर विवाद है तथा विपक्षीगण ने माठ नष्ट कर दी है। इसके लिये प्रार्थी ने तहसीलदार रानीवाडा से पैमाईस हेतु दिनांक 28.06.2021 को आदेश करवाया पटवारी रानीवाड़ा खुर्द ने दिनांक 05.07.2021 को मौके पर आकर सीमाचिन्ह कायम किये। जिनको खुर्दबुर्द कर दिया गया, इसलिये प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि की पैमाईस करवाकर बीच की माठ कायम कर पत्थरगढी करवायी जावे।

प्रार्थी / प्रत्यर्थी के उपरोक्त वर्णित प्रार्थनापत्र को विद्वान उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा ने दिनांक 17.09.2021 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण / प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 को नोटिस जरिये पंजीकृत डाक से जारी करने का आदेश देकर पत्रावली दिनांक 19.10.2021 को रखी गयी, आवेदक ने पंजीकृत डाक लिफाफे पर पाने वाले का नाम व पता सही अंकित नही किया एवं उसकी जाति भील लिखकर भेज दी जो लिफाफा अपीलार्थी को कभी प्राप्त ही नहीं हुआ तथा उक्त डाक नोटिस के आधार पर अपीलार्थीगण को सुनवाई, जबाब, साक्ष्य के अवसर से वंचित करते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2022 को पारित कर दिया तथा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के खेत के बीच आये हुए कटाणी मार्ग ख0न0 1236 की नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया। जबकि गैरमुमकिन रास्ते की पत्थरगढी नही की जा सकती है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2022 को निरस्त व रद्द किये जाने का आदेश फरमावें तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो सादिर फरमाया जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा ने न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जवाब लिया तथा न ही विस्तृत जांच रिपोर्ट जैर अपील प्रकरण मे प्राप्त की गई एवं न ही सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार सुना गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के निर्णय पारित कर दिया जिसको यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के प्रकरण संख्या 36/2021 दिनांक 22.03.2022 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

1) धारा 111 व 128 एलआरएक्ट के प्रावधानो की पालना करते हुए, वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार, रानीवाडा से मुस्तकिल विन्दु कायम किया जाकर नक्शो में विवादित माठ (ख०न० 1236,1261,1262,1263,1231, 1232, 1233 व 1234 के मध्य की माठ) से मुस्तकिल स्थानो की दूरिया व मौके पर वास्तविक नाप की दूरियो को अंकित करवाकर मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

2) उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनो पक्षो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर सीमाज्ञान रिपोर्ट को अंतिमरूप देकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश जारी किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

8. यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)